उत्तर प्रदेश वन निगम

GSTIN-09AAATU3944K1Z1

E-Mail-dsmgor@upfc.in (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)Website upforestcorporation.in

कार्यालयः प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,अरण्य विकास भवन,आमबाजार,पोस्ट–आरोग्य मंदिर, गोरखपुर

पत्रांकः– 1540 / खड़े वृक्ष / नीलाम / वर्ष 2024–25 / दिनांक :– 28.10.2024

सेवा में,

महाप्रबन्धक (विपणन)
उत्तर प्रदेश वन निगम
लखनऊ।

विषयः– नीलाम में खड़े वृक्षों की लाट के आधार मूल्य का 25 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाईन के माध्यम से गेटमनी की सूचना को ई0आर0पी0 पर अपलोड कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक एम–620 / खड़े वृक्ष / नीलाम / वर्ष 2024–25 / दिनांक 24.10.2024।

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अनुरोध है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्देश को खडे वृक्षों के विक्रय सूची के साथ–साथ निम्न सूचना को भी ई0आर0पी0 पर अपलोड कराने की कृपा करें, जिससे क्रेतागणों को भी अवगत कराया जा सकें।

<u>अतिआवश्यक सूचना</u>

"वर्तमान में उत्तर प्रदेश वन निगम में विभागीय सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों एवं संस्थाओं से प्राप्त खड़े वृक्षों की नीलामी में प्रायः यह देखा जा रहा है कि कुछ क्रेताओं द्वारा नीलामी के दौरान नीलाम प्रक्रिया को बाधित करने की मंशा के साथ अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक बोली दी जाती है परन्तु तत्पश्चात् जमानत धनराशि को जमा नहीं किया जाता है। जमानत धनराशि जमा न करने पर उत्तर प्रदेश वन निगम के पास संबंधित क्रेता की गेटमनी जो वर्तमान समय में 20,000.00 (बीस हजार रुपये मात्र) नियत है, को जब्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहता है। उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत न केवल पुर्न नीलामी की कार्यवाही की विवशता होती है वरन् लाटों के समुचित मूल्य पर निस्तारण की सम्पूर्ण प्रक्रिया विलम्बित हो जाती है।

अतः वर्तमान में लागू प्रक्रिया में संशोधन करते हुये सार्वजनिक नीलाम में रुपये 20,000.00 (बीस हजार रुपये मात्र) गेटमनी के स्थान पर खड़े वृक्षों के सामान्य नीलाम में खड़े वृक्षों की लाट के अधार मूल्य का 25 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाईन माध्यम से धनराशि गेटमनी के रुप में जमा कराने के पश्चात् ही नीलाम में बोली स्वीकार की जाये। यह शर्त केवल खड़े वृक्षों के नीलाम हेतु लागू होगी।"

भवदीय
(सुदर्शन यादव)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक

पत्रांकः– 1540/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक (गोरखपुर क्षेत्र), उत्तर प्रदेश वन निगम, गोरखपुर।
2. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, गोरखपुर।
3. प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
4. समस्त डिपो अधिकारी, विक्रय प्रभाग गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से वृहद प्रचार–प्रसार करते हुये क्रेतागणों को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे आधार मूल्य का 25 प्रतिशत गेटमनी के रुप में जमा कराया जा सके।
5. नोटिस बोर्ड।

(सुदर्शन यादव)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक